प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित किया गया : 20.11.2024

निर्णय पारित किया गया :12.12.2024

मध्यस्ता अपील संख्या 35/2022

{नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक न्यायालय (जिला स्तर) के न्यायाधीश द्वारा दिनांक 08-08-2022 को पारित आदेश के विरुद्ध, प्रकरण संख्या मध्यस्ता एमजेसी सं15/2021 उत्पन्न}

---

1. मेसर्स एस.के. मिनरल्स, अपने भागीदार राजेंद्र कुमार खेड़िया के द्वारा, 58 वर्ष , पिता स्वर्गीय पी.डी. खेड़िया , निवासी हरिनिवास, डाकघर बिजूरी, पुलिस थाना बिजूरी, जिला अनूपपुर (मध्य प्रदेश)

---अपीलकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के द्वारा, सीपत रोड, बिलासपुर, पुलिस थाना सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :-- श्री मनोज परांजपे और श्री अमित सोनी,अधिवक्तागण

उत्तरवादी हेतु :-- सुश्री स्वाति अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एच. बी. अग्रवाल, श्री अनुमेह श्रीवास्तव तथा श्री आकाश श्रीवास्तव, अधिवक्ता

माननीय श्रीमती रजनी दुबे,न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु,न्यायाधीश

सीएवी निर्णय

बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश के अनुसार

1. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम, 1996') की धारा 37 के अंतर्गत यह अपील, वाणिज्यिक न्यायालय (जिला स्तर), नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश द्वारा दिनांक 8-8-2022 (अनुलग्नक-ए/1) को पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसमें उत्तरवादी एसईसीएल द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 34(2)(बी)(ii) के अंतर्गत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है।अतः, अपीलकर्ता (जिसे आगे 'दावाकर्ता' कहा गया है) द्वारा यह अपील की गई है।

2. (i) इस प्रकरण से संबंधित तथ्य यह हैं कि दावाकर्ता एक साझेदारी फर्म है और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ पंजीकृत ठेकेदार है तथा सड़कों, भवनों और संबंधित सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है।उत्तरवादी ने हसदेव क्षेत्र के कपिलधारा परियोजना के लिए पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु खुली निविदा आमंत्रित की और यह कार्य दावाकर्ता को 22,44,046.88 रुपये में आवंटित किया गया।इसके बाद, दिनांक 04.10.93 के कार्य आदेश के माध्यम से दावाकर्ता के पक्ष में कार्य आदेश जारी किया गया और दिनांक 06.01.1994 को पक्षों के बीच करार निष्पादित किया गया।कार्य प्रारंभ होने की तिथि 01.02.1994 थी और समापन तिथि 31.07.1994 थी।दावाकर्ता ने 33,500 रुपये अग्रिम जमा किए तथा उत्तरवादी द्वारा प्रारंभिक सुरक्षा जमा के रूप में इसे अपने पास रखने पर सहमति व्यक्त की।कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका, इसलिए उत्तरवादी ने 09-05-1995 के पत्र द्वारा 30-04-1995 तक का अस्थायी समय विस्तार प्रदान किया, जिसमें अंतिम समय विस्तार के समय जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।कार्य के लिए विचलन अनुमान 27,48,663.57 रुपये स्वीकृत किया गया है।

(ii) दावाकर्ता ने 30.04.95 को उत्तरवादी की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार सभी प्रकार से कार्य पूरा कर लिया था और इसलिए अंतिम समय विस्तार के लिए आवेदन को कोई जुर्माना न लगाने की सिफारिश के साथ संसाधित किया गया था, जिसमें 9 महीने का विलंब हुआ था, जिसमें से 8 महीने भारी बारिश, वन मंजूरी में विलंब और साइट सौंपने में देरी के कारण हुई थी। दावाकर्ता ने संशोधित अनुमान और विचलन अनुमान को स्वीकृत कराने, समय सीमा में अंतिम विस्तार प्रदान करने और बकाया आईएसडी और एसडी के साथ अंतिम बिल का भुगतान करने का अनुरोध किया, लेकिन उत्तरवादी ने भुगतान करने का कोई कदम नहीं उठाया है। इसके बाद, दावाकर्ता ने सामान्य नियम एवं शर्तों के खंड संख्या 9 के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को 20 अप्रैल, 2008 को पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत 30 दिन का नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।अतः, मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु प्रकरण संख्या 13/2008 दायर किया गया है, जिसमें उत्तरवादी ने यह तर्क दिया है कि अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत आवेदन के लिए 30 दिन का नोटिस उचित नहीं है और इस न्यायालय ने दावेदार को 30 दिन का नोटिस देकर नया वाद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दायर करने के लिए कहा है।तदनुसार, 07.08.2012 को फिर से 30 दिनों का नोटिस दिया गया, परंतु उत्तरवादी ने कोई जवाब नहीं दिया और इस प्रकार वादी ने एआरबीए संख्या 40/2013 दायर की, और इसके बाद इस न्यायालय ने न्यायाधिकरण का गठन किया।

(iii) यद्यपि उत्तरवादी ने 2006 में अन्य दो ठेकेदारों के दावे का निराकरण कर दिया है, परंतु उन्होंने सीमा पर सवाल उठाकर दावाकर्ता के दावे को पलटने की कोशिश की, जो विधि के समक्ष उचित और न्यायसंगत नहीं है।दावाकर्ता ने उत्तरवादी के विरुद्ध 1,99,22,914 रुपये की राशि का दावा किया है, जिसमें भुगतान दिनांक तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और मध्यस्थता की लागत भी शामिल है।

3. (क) उत्तरवादी /एसईसीएल का प्रकरण यह है कि जहां तक समय के अनंतिम विस्तार का संबंध है, उसे समय का अंतिम विस्तार नहीं माना जा सकता है। दावाकर्ता संविदा के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहा है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम समय विस्तार को विधिवत अनुमोदित कराने के अपने कर्तव्य में भी विफल रहा है। 9 मई 1995 के अनंतिम समय विस्तार पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि यह कार्य अनुमोदित कर दिया गया है और अंतिम समय विस्तार पर जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।27,48,663.57 रुपये के कार्य के लिए विचलन अनुमान को संशोधित अनुमान को अंतिम रूप देते समय बदला जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख)उत्तरवादी के अनुसार, दावाकर्ता ने संशोधित अनुमान तैयार करने और अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए हैं।यद्यपि दावाकर्ता ने अपने दावे में 27,48,663.57 रुपये का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है, जो विचलन अनुमान है, जबकि संशोधित अनुमान को कोई स्वीकृति नहीं मिली है।संशोधित अनुमान कार्य पूर्ण होने के बाद तैयार किया जाता है, जबकि विचलन अनुमान अनुमानों पर आधारित होता है। अतः दावाकर्ता का दावा विचलन अनुमान पर आधारित होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

(ग) कार्य आदेश जारी होने की तिथि से या साइट सौंपे जाने की वास्तविक तिथि से कार्य पूरा करने की अवधि छह महीने थी।दावाकर्ता ने 30.04.1995 को कार्य पूरा कर लिया था, इस प्रकार नौ महीने की देरी हुई है जिसके लिए दावाकर्ता जिम्मेदार है।उत्तरवादी ने इस बात से इनकार किया कि कार्य उत्तरवादी की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप पूरा किया गया था। दावाकर्ता ने 29.11.93 तक साइट सौंपे जाने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया है , अतः दावाकर्ता को कार्य तुरंत प्रारम्भ करने के लिए एक पत्र भेजा गया और उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कार्य अत्यंत अत्यावश्यक प्रकृति का है।दिनांक 23.07.1994 के पत्र द्वारा दावाकर्ता को सूचित किया गया है कि (ओवरसाइज़ मेटल) बड़े आकार की धातु बिछाने का कार्य ठीक से नहीं किया गया है, इसलिए यह सलाह दी गई है कि संविदा की शर्तों के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए उचित सावधानी बरती जाए। दावाकर्ता को उत्तरवादी द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि यदि कार्य सितंबर 1994 के अंत तक पूरा नहीं होता है, तो कार्य में देरी के कारण उत्तरवादी को भारी नुकसान होगा, क्योंकि कोयले का परिवहन उक्त सड़क से ही करना होगा।उत्तरवादी के अनुसार, दावाकर्ता संशोधित अनुमान पर हस्ताक्षर करने के लिए उसके

समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।चूंकि दावाकर्ता संशोधित अनुमान पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अंतिम बिल तैयार नहीं किया गया।

(घ) जहां तक अन्य ठेकेदार मेसर्स अनिल कंस्ट्रक्शन कंपनी का संबंध है, पूर्णता, अंतिमकरण और अंतिम भुगतान के संबंध में सूचना के अधिकार का प्रश्न उठाया गया है, हालांकि इसमें ऐसा कोई नाम नहीं है और यह भी कि सूचना में संबंधित ठेकेदारों को किए गए भुगतानों का विवरण स्पष्ट रूप से दिया गया है।इसका कारण यह है कि उक्त ठेकेदारों ने समय पर संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसलिए उनके बिलों का भुगतान भी समय पर हो गया है।दावा दायर करने में अत्यधिक देरी हुई है क्योंकि दावाकर्ता दावों पर विचार करने में निष्क्रिय था, इसलिए वर्तमान प्रकरण में किया गया दावा समय सीमा से पूरी तरह से वर्जित होने के कारण स्वीकार्य नहीं है।उत्तरवादी ने इस बात से इनकार किया कि दावाकर्ता ने संशोधित अनुमान और विचलन अनुमान को स्वीकृत कराने, अंतिम समय विस्तार प्राप्त करने और बकाया आईएसडी और एसडी सहित अंतिम बिल का भुगतान करने के लिए उत्तरवादी से मौखिक या लिखित रूप से कोई अनुरोध किया था। दावाकर्ता ने 18.07.2006 तक, अर्थात कार्य पूर्ण होने की तिथि से 11 वर्ष बाद तक, ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था, इसलिए यह अनुरोध समय सीमा से पूरी तरह से वर्जित हो चुका है।विवाद को विलंबित अवस्था में उठाने वाले दावाकर्ता ने 20/04/2008 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया। दावाकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहा कि सूचना के अधिकार के तहत किसी अन्य संविदा के संबंध में प्राप्त जानकारी दावाकर्ता की जानकारी से किस प्रकार मिलती-जुलती है।आवेदक का दावा अतिरंजित है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह ब्याज पर ब्याज लेने का प्रयास कर रहा है जो अवैध तथा विधि के विरुद्ध है तथा इस तरह , आवेदक किसी भी अनुतोष हेतु हकदार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके बाद, इस न्यायालय द्वारा एआरबीए संख्या 40/2013 (मेसर्स एस.के. मिनरल्स बनाम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) और अन्य संबंधित मामले में दिनांक 22/11/2013 को पारित आदेश के अनुसार, पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों का निराकरण करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया, ऐसी शर्तों और नियमों पर जैसा कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ उचित और उपयुक्त समझे।इसमें आगे यह भी कहा गया है कि निस्संदेह, विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ही पक्षों के बीच उत्पन्न सभी विवादों का निर्णय करेंगे। विशेष रूप से दिनांक 22/11/2013 के आदेश के कंडिका 19 में यह कहा गया है कि 'परिसीमा/लंबे समय से वर्जित दावे के प्रश्न को उचित अभिवचन और साक्ष्यों के आधार पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विचार और निर्णय के लिए छोड़ना उचित है, क्योंकि अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के आवेदन पर विचार करते समय इस पर विचार और निर्णय नहीं किया जा सकता है।'इसका अर्थ है कि इस न्यायालय ने धारा 11(6) के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय परिसीमा का प्रश्न मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए छोड़ दिया है।

5. उक्त आदेश के आधार पर, अपीलकर्ता द्वारा दावा दायर किया गया था, जिसके बाद, माननीय एकमात्र मध्यस्थ ने पक्षों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद, दिनांक 20-3-2021 को मध्यस्थता अधिनिर्णय पारित किया, जैसा कि अधिनिर्णय के कंडिका 53 में उल्लेख किया गया है:

53) दोनों पक्षों के अभिवेदनों, उनके मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों, मौखिक तर्कों और दोनों पक्षों द्वारा लिखित तर्कों में प्रस्तुत किए गए कथनों पर विचार किया गया है और उसके बाद सभी सुसंगत तथ्यों, सभी सुसंगत सामग्रियों, सभी प्रासंगिक साक्ष्यों, दोनों पक्षों के मौखिक और लिखित तर्कों में किए गए सभी सुसंगत तर्कों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं, और निम्नलिखित शब्दों में निर्णय पारित किया जाता है:--

क) उत्तरवादी दावाकर्ता को 2,59,536/- रुपये (दो लाख उनसठ हजार पांच सौ छत्तीस रुपये) का भुगतान करेगा, साथ ही 1-5-95 से 19-03-2021 तक 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देगा।

ख) उत्तरवादी दावाकर्ता को मात्र 1,47,203/- रुपये (एक लाख सैंतालीस हजार दो सौ तीन रुपये) (ईएम सहित) का भुगतान करेगा, लेकिन 19-03-2021 तक इस राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं करेगा।

ग) मध्यस्थता अधिनिर्णय राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से भविष्य का ब्याज, अधिनिर्णय की तिथि से भुगतान की तिथि तक उत्तरवादी द्वारा दावेदार को देय होगा।

घ) सभी सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उत्तरवादी वादी को लागत के रूप में कुल 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) का भुगतान करेगा (मध्यस्थता शुल्क और लिपिकीय शुल्क को छोड़कर)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. दिनांक 20-3-2021 के अधिनिर्णय से असंतुष्ट होकर उत्तरवादी ने मध्यस्थता एमजेसी संख्या 15/2021 दायर करके माननीय वाणिज्यिक न्यायालय से संपर्क किया, जिसे दिनांक 8-8-2022 के आदेश द्वारा मध्यस्थता अधिनिर्णय को निर्धारित करके स्वीकार कर लिया गया।आक्षेपित आदेश मे,माननीय वाणिज्यिक न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह निर्णय परिसीमा विधि की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली अवैधता के कारण यह अमान्य है और इसे भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत भी अभिनिर्धारित किया गया है।इस प्रकार, दावाकर्ता द्वारा यह अपील प्रस्तुत किया गया।

7. (ए) अपीलकर्ता/दावाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का मूल्यांकन करने और पक्षों के बीच निष्पादित संविदा की शर्तों और नियमों का उचित मूल्यांकन करने के बाद निर्णय पारित किया है।उनके अनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दर्ज किए गए वाद के कारण की उत्पत्ति संबंधी तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना

चाहिए था।उन्होंने आगे कहा कि धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही अपीलीय कार्यवाही नहीं है, और इसलिए एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था।

(बी) विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम, 1996 की धारा 34 न्यायालय द्वारा मध्यस्थता निर्णय की पुनर्विलोकन का सीमित दायरा प्रदान करती है और न्यायालय इसके गुण-दोष के आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।उनके अनुसार, न्यायालय अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय अपील की सुनवाई नहीं करता है तथा प्रकरण के तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार नहीं कर सकता है तथा साक्ष्यों की गुण-दोष के आधार पर समीक्षा या पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है।वह यह तर्क देगा कि संविदा के तहत मध्यस्थ ही अंतिम तथ्य-निर्धारण प्राधिकरण है।वास्तव में, वाणिज्यिक न्यायालय को यह समझना चाहिए था कि एकमात्र मध्यस्थ ने सभी तथ्यों और तर्क का मूल्यांकन करने के बाद सही ढंग से यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता/दावाकर्ता का दावा समय सीमा के भीतर था, क्योंकि वाद के कारण का उत्पन्न होना एक तथ्यात्मक प्रश्न है और उस पर निष्कर्ष मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार के साक्ष्यों के मूल्यांकन पर आधारित होते हैं और इसलिए उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

(सी) विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि एकमात्र मध्यस्थ ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद निर्णय पारित किया था और धारा 34 के तहत इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उनका निवेदन है कि उत्तरवादी ने संशोधित अनुमान और अंतिम बिल तैयार करने में विलंब किया था और इसलिए वह परिसीमा का अनुरोध नहीं उठा सकता है।मध्यस्थता के तहत राशि का दावा करने का आधार कार्य पूर्ण होने की तिथि से नहीं, बल्कि भुगतान से इनकार किए जाने की तिथि से उत्पन्न होता है। उन्होंने यह तर्क दिया कि एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित मध्यस्थता निर्णय में न तो कोई स्पष्ट अवैधता है और न ही यह भारत की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(डी) विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देंगे कि तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन से यह नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रकरण में विवाद्यक केवल विधिक/अधिकार क्षेत्र का विवाद्यक था, बल्कि यह विधि और तथ्यों का मिश्रित प्रश्न था।वह यह तर्क देगा कि परिसीमा अवधि की गणना दावे के प्रस्तुत किए जाने और भुगतान से इनकार कर दिया जाता है और दावे को अस्वीकार करने का एक खंडन होता है।अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों पर भरोसा करते है जो **ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड 1, एनटीपीसी लिमिटेड बनाम डेकोनार सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 2, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड 3, नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 4 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम रतनलाल एन. ग्वालानी 5 के प्रकरण में दिए गए थे।**

8. उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इसके विपरीत यह तर्क दिया कि एकमात्र मध्यस्थ ने परिसीमा के संबंध में दावेदार के पक्ष में त्रुटिपूर्ण निर्णय लिया है।उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि दावाकर्ता ने परिसीमा अवधि समाप्त होने के 11 वर्ष बाद दावा प्रस्तुत किया था, और इस प्रकार दावा परिसीमा द्वारा वर्जित

था, लेकिन इस तथ्य को समझे बिना मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से यह निर्णय लिया कि दावा परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं है।अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता **उच्चतम न्यायालय द्वारा पंचू गोपाल बोस बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज फॉर पोर्ट ऑफ कलकत्ता 6, जे.सी. बुधराजा बनाम चेयरमैन, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य 7, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम दातार स्विचगियर लिमिटेड और अन्य 8, एमएमटीसी लिमिटेड बनाम वेदांता लिमिटेड 9, सैंगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) 10, और बी एंड टी एजी बनाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 11 के प्रकरण में दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते है।**

9. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

10. संदर्भ के लिए अधिनियम, 1996 की धारा 34 का उल्लेख करना उचित होगा।

34. मध्यस्थता अधिनिर्णय को अपास्त करने हेतु आवेदन

-- (1)मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील केवल उपधारा (2) और उपधारा (3) के अनुसार ऐसे निर्णय को अपास्त करने हेतु आवेदन द्वारा ही की जा सकती है।

(2) न्यायालय द्वारा मध्यस्थता अधिनिर्णय को केवल तभी अपास्त किया जा सकता है जब--

(क) आवेदन करने वाला पक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अभिलेख के आधार पर यह सिद्ध कर दे कि--

(i) कोई पक्ष किसी अक्षमता के अधीन था, या(ii) मध्यस्थता करार उस विधि के तहत वैध नहीं है, जिसके अधीन पक्षों ने इसे रखा है या, उस पर कोई संकेत न होने पर, वर्तमान में लागू विधि के तहत; या (iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी, या वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ था; या(iv) मध्यस्थता अधिनिर्णय किसी ऐसे विवाद से संबंधित है जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत शर्तों में परिकल्पित नहीं है या उसके अंतर्गत नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत शर्तों के दायरे से बाहर के प्रकरण पर निर्णय शामिल हैं:परंतु कि, यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत प्रकरण पर लिए गए निर्णयों को उन प्रकरण से अलग किया जा सकता है जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो मध्यस्थता अधिनिर्णय का केवल वही भाग अपास्त किया जा सकता है जिसमें उन प्रकरण पर निर्णय शामिल हैं जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं; या(v) मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना या मध्यस्थ प्रक्रिया पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा करार इस भाग के किसी प्रावधान के विपरीत न हो जिससे पक्षकार विचलित नहीं हो सकते है, या, ऐसे करार के अभाव में, इस भाग के अनुसार नहीं था; या(ख) न्यायालय ने यह पाया कि--

(i) विवाद का विषय वर्तमान में लागू विधि के तहत मध्यस्थता द्वारा निराकरण योग्य नहीं है, या

(ii) मध्यस्थता अधिनिर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है।

स्पष्टीकरण 1.किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई अधिनिर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत तभी होगा, जब..

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) अधिनिर्णय देना धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था; या **(ii)** यह भारतीय विधि की मूलभूत नीति के विपरीत है; या**(iii)** यह नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी अवधारणाओं के विपरीत है।

स्पष्टीकरण

2)किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या भारतीय विधि की मौलिक नीति का उल्लंघन हुआ है, विवाद के गुण-दोष पर पुनर्विलोकन की आवश्यकता नहीं होगी।

2ए) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न मध्यस्थता अधिनिर्णय को भी न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है, यदि न्यायालय यह पाता है कि अधिनिर्णय में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली अवैधता है:परंतु कि किसी अधिनिर्णय को केवल विधि के त्रुटिपूर्ण प्रयोग या साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर अपास्त नहीं किया जाएगा।

3) मध्यस्थता अधिनिर्णय प्राप्त होने की तिथि से तीन माह बीत जाने के बाद निरस्तीकरण हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है, या यदि धारा 33 के अंतर्गत कोई अनुरोध किया गया हो, तो उस अनुरोध का निराकरण मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा किए जाने की तिथि से तीन माह बीत जाने के बाद भी आवेदन नहीं किया जा सकता है:परंतु कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदक पर्याप्त कारणवश उक्त तीन महीने की अवधि के भीतर आवेदन करने से वंचित रहा, तो न्यायालय तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि न्यायालय उचित समझे और किसी पक्ष द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाए, तो वह कार्यवाही को अपने द्वारा निर्धारित अवधि के लिए स्थगित कर सकता है ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही फिर से शुरू करने या ऐसी अन्य कार्यवाही करने का अवसर मिल सके जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण की राय में मध्यस्थता निर्णय को अपास्त करने के आधारों को समाप्त कर देगी।

5) इस धारा के अंतर्गत आवेदन किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना जारी करने के बाद ही दाखिल किया जाएगा और ऐसे आवेदन के साथ आवेदक द्वारा उक्त आवश्यकता के अनुपालन की पुष्टि करने वाला एक शपथपत्र संलग्न किया जाएगा।

6) इस धारा के अंतर्गत आवेदन का निराकरण शीघ्रता से किया जाएगा और किसी भी स्थिति में उपधारा (5) में निर्दिष्ट सूचना दूसरे पक्ष को दिए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

11. अधिनियम, 1996 की धारा 34 के दायरे पर सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम सनमान राइस मिल्स और अन्य 12** के प्रकरण में विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि अपील का दायरा स्वाभाविक रूप से अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत

सूचीबद्ध आधारों के समान और सीमित है। न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता अधिनिर्णय में केवल इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है कि अधिनिर्णय अवैध है या विधि में त्रुटिपूर्ण है, वह भी मध्यस्थता विचारण से पहले प्रस्तुत साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के बाद।उक्त निर्णय के कंडिका 10,11,12,13,19 और 20 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

10. अधिनियम की धारा 34 में अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अनुसार आवेदन करके मध्यस्थता अधिनिर्णय को अपास्त करने का प्रावधान है, जिसमें अन्य बातों के अलावा उन आधारों का प्रावधान है जिन पर मध्यस्थता अधिनिर्णय अपास्त किया जा सकता है।किसी मध्यस्थता अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने या उसे अपास्त करने का एक मुख्य आधार यह है कि यदि मध्यस्थता अधिनिर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है, अर्थात् यदि निर्णय धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित है, या भारतीय विधि की मूलभूत नीति के विरुद्ध है, या नैतिकता और न्याय की सबसे बुनियादी अवधारणाओं के विपरीत है।धारा 34 को सीधे तौर पर पढ़ने से पता चलता है कि धारा 34 के तहत मध्यस्थता अधिनिर्णय में न्यायालय के हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है और न्यायालय को यह पता लगाने के लिए उक्त दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए कि अधिनिर्णय अच्छा है या बुरा।

11. अधिनियम की धारा 37 में अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता अधिनिर्णय को अपास्त करने या अपास्त करने से इनकार करने के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए एक मंच का प्रावधान है। अपील का दायरा स्वाभाविक रूप से अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत सूचीबद्ध आधारों के समान और सीमित है।

12. यह ध्यान देने योग्य है कि मध्यस्थता निर्णय में केवल इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है कि वह अवैध है या विधि में त्रुटिपूर्ण है, वह भी मध्यस्थता विचारण से पहले प्रस्तुत साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के बाद।यहां तक कि यदि अधिनिर्णय उचित न भी हो या कुछ हद तक अस्पष्ट हो, तो भी न्यायालयों द्वारा उसमें सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।यह भी सर्वविदित है कि यदि दो मत संभव हों, तब भी न्यायालय के पास साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करके मध्यस्थ द्वारा लिए गए मत से भिन्न मत अपनाने का कोई अवसर नहीं है।मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सामान्यतः स्वीकार्य होता है और उसे ही मान्य माना जाना चाहिए।

13. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम एल.के. आहूजा के कंडिका 11 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

"11. मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप के दायरे पर सीमाएं हैं।जब मध्यस्थ ने अभिवचनों, उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और संविदा की शर्तों पर विचार कर लिया है, तो न्यायालय के लिए प्रकरण का पुनर्मूल्यांकन करने की कोई गुंजाइश नहीं है जैसे कि यह कोई अपील हो, और भले ही दो दृष्टिकोण संभव हों, मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण ही मान्य होगा।जब तक किसी मध्यस्थ द्वारा दिया गया अधिनिर्णय एक तर्कसंगत व्यक्ति द्वारा दिया गया निर्णय माना जा सकता है, तब तक किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालांकि, ऐसे प्रकरण में जहां मध्यस्थ करार की शर्तों का उल्लंघन करता है या किसी ऐसे साक्ष्य के अभाव में निर्णय पारित करता है जो निर्णय में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो उसे अपास्त किया जा सकता है।"

xxxx

19. बॉम्बे स्लम रिडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम समीर नारायण भोजवानी8 में, इस न्यायालय की एक युगल पीठ ने एमएमटीसी लिमिटेड (उपरोक्त) और यूएचएल पावर कंपनी लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित सिद्धांत का अनुसरण किया और उसे दोहराया गया है ।इसमें बाद वाले निर्णय के कंडिका 16 को उद्धृत और रेखांकित किया गया है, जो एमएमटीसी लिमिटेड (उपरोक्त) पर व्यापक रूप से निर्भर करता है।यह इस प्रकार है:

"16. जैसा कि है, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालयों को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र काफी संकीर्ण है, जब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील के दायरे की बात आती है, तो किसी आदेश की जांच करने, किसी अधिनिर्णय को अपास्त करने या अपास्त करने से इनकार करने में अपीलीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और भी अधिक सीमित हो जाता है।एमएमटीसी लिमिटेड बनाम वेदांता लिमिटेड [एमएमटीसी लिमिटेड बनामवेदांता लिमिटेड, (2019) 4 एससीसी 163 :(2019) 2 एससीसी (सिविल) 293] में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को इस प्रकार का सीमित क्षेत्राधिकार प्रदान करने के कारणों को निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है:(एस. सी. सी. पीपी. 166-67, कंडिका 11)

"11. जहाँ तक धारा 34 का संबंध है, अब यह स्थिति सुस्थापित हो चुकी है कि न्यायालय मध्यस्थता अधिनिर्णय पर अपील नहीं करता है और धारा 34(2)(बी)(ii) के तहत प्रदान किए गए सीमित आधार पर योग्यता के आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है, अर्थात् यदि अधिनिर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है।2015 में 1996 के अधिनियम में संशोधन से पहले इस न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट की गई विधिक स्थिति के अनुसार, भारतीय सार्वजनिक नीति का उल्लंघन, बदले में, भारतीय विधि की मौलिक नीति का उल्लंघन, भारत के हित का उल्लंघन, न्याय या नैतिकता के साथ टकराव और मध्यस्थता अधिनिर्णय में स्पष्ट अवैधता का अस्तित्व शामिल है।इसके अतिरिक्त, "भारतीय विधि की मौलिक नीति" की अवधारणा में विधि और न्यायिक मिसालों का अनुपालन, न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन और वेडनेसबरी [एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस लिमिटेड बनाम वेडनेसबरी कॉर्पोरेशन[1948] 1 के.बी. 223 (सीए)] तर्कसंगतता शामिल होगी।इसके अलावा, "स्पष्ट अवैधता" का अर्थ भारत के मूल विधि का उल्लंघन, 1996 के अधिनियम का उल्लंघन और संविदा की शर्तों का उल्लंघन माना गया है।"

20. इस विषय पर उपरोक्त विधिक स्थिति को देखते हुए, मध्यस्थता प्रकरण में न्यायालय के हस्तक्षेप का दायरा वस्तुतः निषिद्ध है, यदि पूर्णतः वर्जित नहीं है, और यह हस्तक्षेप केवल अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत परिकल्पित सीमा तक ही सीमित है। अधिनियम की धारा 37 की अपीलीय शक्ति अधिनियम की धारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34 के दायरे में ही सीमित है। इसका प्रयोग केवल यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि क्या न्यायालय ने अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उसके अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य किया है या उसने प्रदत्त शक्ति का उल्लंघन किया है या उसका प्रयोग करने में विफल रहा है। अपीलीय न्यायालय के पास कानूनन यह अधिकार नहीं है कि वह मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष आक्षेपित प्रकरण पर गुण-दोष के आधार पर विचार करे और साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर यह पता लगाए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय सही है या गलत, मानो वह किसी सामान्य अपीलीय न्यायालय में बैठा हो। केवल तभी जब धारा 34 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाला न्यायालय धारा 34 द्वारा प्रदत्त अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा हो या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया हो, तो अपीलीय न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और अधिनियम की धारा 34 के तहत पारित आदेश को अपास्त कर सकता है। इसकी शक्ति उस पर्यवेक्षण के समान है जो सिविल न्यायालयों को पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते समय प्राप्त होता है।मध्यस्थता अधिनिर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जब तक कि निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में उल्लिखित हस्तक्षेप का मामला सिद्ध न हो जाए।इसे केवल इस आधार पर नहीं बदला जा सकता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के स्थान पर, अपीलीय न्यायालय के अनुसार, एक अन्य संभावित दृष्टिकोण बेहतर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अधिनियम, 1996 की धारा 34 के प्रावधानों और पंजाब स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में यह सर्वविदित है कि मध्यस्थता प्रकरण में न्यायालय के हस्तक्षेप का दायरा वस्तुतः निषिद्ध है, यदि पूर्णतः वर्जित नहीं है, और यह हस्तक्षेप केवल अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत परिकल्पित सीमा तक ही सीमित है। अधिनियम की धारा 37 की अपीलीय शक्ति अधिनियम की धारा 34 के दायरे में ही सीमित है।

13. विशेष रूप से, विचाराधीन प्रकरण में, धारा 11(6) के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय एआरबीए संख्या 40/2013 में दिनांक 22/11/2013 को पारित आदेश के कंडिका 19 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को भी देखना आवश्यक है, जिसे त्वरित संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

19. वर्तमान प्रकरण में अनावेदक ने केवल यह बयान दिया है कि आवेदक का दावा समय-सीमा के कारण बाधित है; परंतु न तो इसके समर्थन में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं, और न ही कोई विशिष्ट शपथ-पत्र दाखिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवेदक का दावा किस प्रकार समय-सीमा के कारण बाधित है।वैसे भी परिसीमा का प्रश्न विधि और तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है, जिसका निर्णय उचित तर्क और साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। मैं राष्ट्रीय बीमा मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जिसका अनुसरण सर्वोच्च न्यायालय ने भरत रसिकलाल मामले (उपरोक्त) में किया है, पर भरोसा करते हुए यह निर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं करते है कि आवेदकों का दावा लंबे समय से वर्जित दावा है या परिसीमा द्वारा वर्जित है। मैं परिसीमा/लंबे समय से वर्जित दावे के प्रश्न को उचित तर्क और साक्ष्यों के आधार पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विचार और निर्णय के लिए छोड़ना उचित समझता हूं, क्योंकि अधिनियम, 1996

की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करते समय इस पर विचार और निर्णय नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार, विवाद्यक सं- III का उत्तर तदनुसार दिया जाता है

14. वाणिज्यिक न्यायालय के उस आदेश की जाँच, जिसे वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है और जो अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है, धारा 34 के प्रावधानों के आधार पर की जानी चाहिए;पंजाब स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के तहत;साथ ही इस न्यायालय द्वारा एआरबीए संख्या 40/2013 में की गई टिप्पणी के तहत दि गयी है ।

15. सबसे पहले, एआरबीए संख्या 40 ऑफ 2013 पर निर्णय लेते समय, इस न्यायालय ने परिसीमा/लंबे समय से वर्जित दावे के प्रश्न को उचित तर्क और साक्ष्यों के आधार पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विचार और निर्णय के लिए छोड़ दिया।इसके बाद, विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने अभिवचनों तथा साक्ष्यों के आधार पर परिसीमा के मुद्दे की जांच की और कंडिका 31 से 35 में यह में अभिनिर्धारित कियाः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विधिक प्रावधानों और निर्णयों के आलोक में दावाकर्ता का दावा परिसीमा से बाधित है या अब भी वैध है, इस पर विचार किया जाना है।30-04-1995 को कार्य पूर्ण होने के बाद, चूंकि कार्य पूर्ण होने में 9 महीने की देरी हुई थी, इसलिए अंतिम समय विस्तार प्रदान करना अनिवार्य था। दावाकर्ता के साक्षी मुकेश शर्मा ने अपने शपथपूर्वक दिए गए बयान में कहा है कि पत्र संख्या सी. जी. एम./एच. एस. डी./सिविल/1512-1516 दिनांक 09-05-1995 के माध्यम से 30-04-1995 तक अनंतिम समय विस्तार प्रदान किया गया था, जिसमें अंतिम विस्तार के समय जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा गया था।दावाकर्ता के साक्षी राजेंद्र कुमार खेड़िया ने शपथपूर्वक दिए अपने बयान में कहा है कि उन्होंने 30-04-1995 तक दी गई अनंतिम समय सीमा के अनुसार कार्य पूरा कर लिया था, जो पत्र सी. जी. एम./एच. एस. डी./सिविल/1512-1516 दिनांक 09-05-1995 के माध्यम से दी गई थी, और अंतिम समय सीमा बढ़ाए जाने के समय यदि कोई जुर्माना हो तो उसे लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा था।उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन पर उनके पत्र दिनांक 01-02-1996 के माध्यम से कार्यवाही की गई थी।अनुलग्नक आर-3 दाखिल किया गया है, जो दिनांक 01-02-1996 का पत्र है, जिसके माध्यम से दावाकर्ता ने बिना जुर्माना लगाए 30-04-95 तक समय का अंतिम विस्तार प्रदान करने की प्रार्थना की है।उत्तरवादी ने इनकार नहीं किया।भुगतान संबंधी नियम और शर्तें इस अधिनिर्णय के पिछले कंडिका में पहले ही उल्लिखित हैं। अंतिम बिल तैयार करके ठेकेदार को भुगतान किया जाना था, लेकिन इस प्रकरण में अंतिम विस्तार और संशोधित अनुमान की स्वीकृति के बिना अंतिम बिल तैयार और भुगतान नहीं किया जा सका। नोट शीट अनुलग्नक-1 अंतिम विस्तार और संशोधित अनुमान से संबंधित है। नोट शीट के अनुसार, 13-03-97 को बिना जुर्माने के अंतिम विस्तार की सिफारिश की गई थी।सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी तक अंतिम विस्तार प्रदान नहीं किया गया है।यद्यपि उत्तरवादी ने अनुरोध किया कि

दावाकर्ता संशोधित अनुमान पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरवादी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि ठेकेदार संशोधित अनुमान पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अंतिम बिल तैयार नहीं किया गया। उत्तरवादी ने यह भी अनुरोध किया कि दावाकर्ता ने संशोधित अनुमान तैयार करने और अंतिम रूप देने के लिए अनिवार्य दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, लेकिन इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरी ओर, अनुलग्नक-1 में नोट शीट इसके विपरीत दर्शाती है।उत्तरवादी के साक्षी बृजेश शुक्ला ने हालांकि यह बयान दिया कि ठेकेदार के संशोधित अनुमान और अंतिम बिल को अंतिम रूप देने के लिए ठेकेदार द्वारा विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने थे, लेकिन चूंकि वह संविदा के तहत निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसलिए अनुबंध का अंतिम बिल तैयार नहीं किया जा सका।उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि ठेकेदार द्वारा कौन सा दस्तावेज़ दाखिल करना आवश्यक है। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने शपथ पत्र पर अपने मुख्य परीक्षा से पहले कोई दस्तावेज़ नहीं देखा था।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने दावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नक-1 नहीं देखा था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अंतिम बिल अभी तक तैयार नहीं किया गया है।अनुलग्नक-1 में उल्लिखित नोट शीट संशोधित अनुमान और समय के अंतिम विस्तार से संबंधित है, जिससे पता चलता है कि संशोधित अनुमान मौजूद था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. 30-04-95 को दावाकर्ता द्वारा कार्य पूरा कर लिया गया था, इसलिए दावाकर्ता अंतिम भुगतान का हकदार था, लेकिन अंतिम भुगतान के लिए, सक्षम प्राधिकारी से समय के अंतिम विस्तार पर स्वीकृति प्राप्त करने और संशोधित अनुमान की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् उत्तरवादी द्वारा अंतिम बिल तैयार किया जाना था, परंतु उत्तरवादी ऐसा करने में विफल रहा।यद्यपि दावाकर्ता ने दिनांक 18-07-2006 के पत्र (अनुलग्नक ए-5) के माध्यम से लिखित दावा प्रस्तुत किया है, परन्तु न तो दावे का भुगतान किया गया है और न ही उसे अस्वीकार किया गया है।इस दस्तावेज़ को दावाकर्ता के साक्षी मुकेश शर्मा ने प्रमाणित किया है। दावे के उत्तर में प्रतिवादी ने कहा है कि दावाकर्ता ने 18-07-2006 तक कोई अनुरोध नहीं किया, अर्थात् कार्य पूर्ण होने की तिथि से 11 वर्ष बीत चुके हैं।अतः यह दावा समय सीमा से पूरी तरह वर्जित है। उत्तरवादी केवल परिसीमा के आधार पर दावे को अस्वीकार कर रहे हैं।उत्तरवादी ने वादी के दिनांक 18-07-2006 के मांग पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया।

33.इस प्रकरण में उत्तरवादी द्वारा अंतिम बिल तैयार किया जाना था और भुगतान किया जाना था, लेकिन उत्तरवादी ने आज तक न तो अंतिम बिल तैयार किया है और न ही भुगतान किया है, इसलिए दावाकर्ता ने 18-07-2006 को अपने दावे की पुष्टि की।दावे के विवरण के कंडिका 9 में दावाकर्ता ने निवेदन किया है किआवेदक निवेदन करता है कि समझौते संख्या सीईओ/बी. एस. पी./ए. जी. टी./2/316 दिनांक 06.03.1995 के साथ संलग्न सामान्य नियम एवं शर्तों के खंड संख्या 9 के अनुसार माननीय मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 30 दिन का नोटिस अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को 20 अप्रैल, 2008 को डाक प्रमाण पत्र के साथ भेजा गया था, लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।इसलिए, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रकरण संख्या 13/2008 दायर किया गया है।कई सुनवाईयों के बाद, जब माननीय उच्च न्यायालय मध्यस्थ की

नियुक्ति करने ही वाला था, तब उत्तरवादी ने याचिका दायर की कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत आवेदन पर 30 दिन का नोटिस उचित नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदक को उचित 30 दिन का नोटिस देकर नया वाद दायर करने का निर्देश दिया।तदनुसार, 07.08.2012 को पुनः 30 दिन का नोटिस तामील किया गया (अनुलग्नक ए-6), और इस पर भी उत्तरवादी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आवेदक को नया वाद संख्या 39/2013 दायर करने की अनुमति दी, और माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय मध्यस्थ की नियुक्ति की।इस कंडिका पर प्रत्यर्थी का जवाब है "कंडिका 9 का जवाबःउत्तरवादी ने कहा है कि इस मामले में करार के खंड 9 के अनुसार, यदि कोई मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की जानी थी, तो वह 1940 के पुराने अधिनियम के तहत की जानी थी। हालांकि, अपने दावे को पुराना मानते हुए, आवेदक ने 1996 के नए अधिनियम के तहत कार्यवाही का सहारा लिया है।विवाद को विलंबित अवस्था में उठाया गया है और 20/04/2008 को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया है।

34. दावाकर्ता ने 18-07-2006 को अपना दावा प्रस्तुत किया, उत्तरवादी ने न तो भुगतान किया और न ही इनकार किया।दावाकर्ता ने सामान्य नियम एवं शर्तों के खंड 9 के तहत मध्यस्थता का सहारा लिया। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 21 के अनुसार, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तिथि से प्रारंभ होती है जिस तिथि को उत्तरवादी को उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त होता है।खंड 9 दिनांक 20-04-2008 को लागू की गई है।अधिनियम, 1996 की धारा 43(2) के अनुसार, मध्यस्थता धारा 21 में निर्दिष्ट तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी।विधि तथा विधिक निर्णयों के अनुसार यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में वाद का कारण 18-07-2006 को उत्पन्न हुआ और 20-04-2008 से परिसीमा के लिए मध्यस्थता शुरू हुई, इसलिए दावाकर्ता का दावा परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं है।

35. सभी तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक पहलुओं पर उचित विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दावाकर्ता का दावा परिसीमा विधि द्वारा वर्जित नहीं है, तदनुसार विवाद्यक संख्या 3 का उत्तर दिया जाता है।

16. मध्यस्थता निर्णय में, विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता का दावा और विवाद परिसीमा अवधि के भीतर है।हालांकि, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए परिसीमा के विवाद्यक पर विचार किया और कंडिका 14 में इस प्रकार कहा:

14. पंचू गोपाल बोस (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

16. वर्तमान प्रकरण स्पष्ट रूप से और निस्संदेह रूप से पूरी तरह से खारिज होने योग्य दावा है क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपने आचरण से 10 वर्षों से अधिक समय तक अपने अधिकार की अनदेखी की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वैधानिक मध्यस्थताएँ इससे अलग हैं।इन परिस्थितियों में यह एक असाधारण प्रकरण है तथा विचारण न्यायालय ने धारा 5 और 12(2)(ख) के तहत अपने विवेकाधीन अधिकार और क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग करते हुए उत्तरवादी को मध्यस्थता करार को रद्द करने की अनुमति दी है और यह घोषित किया है कि याचिकाकर्ता के नोटिस में उल्लिखित मतभेद या विवाद के संबंध में मध्यस्थता समझौता प्रभावी नहीं रहेगा और पक्षों को मध्यस्थता करार से मुक्त कर दिया है।विशेष अनुमति याचिकाएं तदनुसार बिना किसी लागत के खारिज की जाती हैं।

17. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, माननीय वाणिज्यिक न्यायालय ने परिसीमा के बिंदु पर मध्यस्थता अधिनिर्णय के निष्कर्ष का ठीक से परीक्षण नहीं किया और उचित कारण बताए बिना एकमात्र मध्यस्थ के निष्कर्ष को उलट दिया गया।इस प्रकार, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने परिसीमा के प्रश्न पर विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को रद्द करके घोर त्रुटि की है, जो कानून और तथ्यों के मिश्रित प्रश्न पर आधारित है और विशेष रूप से तब जब परिसीमा बिंदु को इस न्यायालय द्वारा एआरबीए संख्या 40/2013 का निर्णय करते समय एकमात्र मध्यस्थ द्वारा तय करने का निर्देश दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18.परिसीमा के विवाद्यक पर एकमात्र मध्यस्थ द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय का निष्कर्ष भी पर्याप्त नहीं है, और इसलिए साक्ष्य के आधार पर एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिए गए तथ्य संबंधी निष्कर्ष की जांच करना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम दातार स्विचगियर लिमिटेड और अन्य 13 के प्रकरण में प्रतिपादित सुस्थापित विधि के विपरीत है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्ष्य का स्वामी है और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर मध्यस्थों द्वारा दिए गए तथ्य संबंधी निष्कर्षों की जांच इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए जैसे कि न्यायालय अपील में बैठा हो।अतः, परिसीमा निर्धारण संबंधी आदेश विकृत और अधिनियम, 1996 की धारा 34 के विपरीत है।

19. पंचू गोपाल बोस (उपरोक्त) और जे.सी. बुधराजा (उपरोक्त) मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर आधारित वाणिज्यिक न्यायालय की टिप्पणी का इस मामले में उचित रूप से मूल्यांकन और प्रयोग नहीं किया गया है।वर्तमान प्रकरण में ठेकेदार को अंतिम बिल तैयार करके भुगतान किया जाना था, लेकिन अंतिम विस्तार और संशोधित अनुमान की स्वीकृति के बिना अंतिम बिल तैयार और भुगतान नहीं किया जा सका ।मध्यस्थता अधिनिर्णय के अनुसार, "नोट शीट के अनुसार, 13-3-1997 को बिना जुर्माने के अंतिम विस्तार की सिफारिश की गई थी।सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी तक अंतिम विस्तार प्रदान नहीं किया गया है।"उत्तरवादी ने यह तर्क दिया है कि दावाकर्ता संशोधित अनुमान पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरवादी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि ठेकेदार संशोधित अनुमान पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अंतिम बिल तैयार नहीं किया गया, लेकिन इस तथ्य को साबित करने के लिए अभिलेख में कोई ठोस

सबूत उपलब्ध नहीं है।उपरोक्त तथ्य को एकमात्र मध्यस्थ ने परिसीमा के विवाद्यक पर निर्णय लेते हुए मध्यस्थता निर्णय में विस्तार से बताया है।

20. मध्यस्थता निर्णय से यह स्पष्ट है कि दावाकर्ता ने 18-7-2006 को अपना दावा प्रस्तुत किया और मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया, जिसके बाद इस न्यायालय ने एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। इसके बाद, पक्षों को सुनने के बाद एकमात्र मध्यस्थ ने यह निष्कर्ष निकाला कि वाद का कारण 18-7-2006 को उत्पन्न हुआ था और मध्यस्थता 20-4-2008 से परिसीमा अवधि के लिए प्रारंभ हुई थी, अतः दावेदार द्वारा किया गया दावा परिसीमा अवधि से बाधित नहीं है।वास्तव में, दावाकर्ता द्वारा कार्य 30-4-1995 को पूरा कर लिया गया था और वादी अंतिम भुगतान का हकदार था, परंतु उत्तरवादी एसईसीएल द्वारा इसका भुगतान नहीं किया गया। चुनौती दिए गए आदेश से स्पष्ट है कि वाणिज्यिक न्यायालय ने एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिए गए उपरोक्त निष्कर्ष की, विशेष रूप से परिसीमा और अंतिम बिल के मुद्दे पर, सही परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं की है।

21. यहाँ यह उल्लेख करना सुसंगत है कि 30-4-1995 को काम पूरा होने के बाद, काम पूरा होने में नौ महीने की देरी के कारण, समय का अंतिम विस्तार देना अनिवार्य था।दावाकर्ता के साक्षी मुकेश शर्मा ने बताया कि 30-4-1995 तक अस्थायी विस्तार दिया गया था, जिसमें अंतिम विस्तार के समय जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा गया था।एक अन्य साक्षी राजेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने विस्तार आदेश के अनुसार काम पूरा कर लिया था।चूंकि कार्य 30-4-1995 को पूरा हो गया था, इसलिए दावाकर्ता अंतिम भुगतान का हकदार है, लेकिन उत्तरवादी ने आवश्यक कार्यवाही नहीं की, जबकि उन्होंने दावा किया है कि दावा समय सीमा से बाधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यद्यपि दावाकर्ता ने 18-7-2006 को अपना दावा प्रस्तुत किया था, परंतु उत्तरवादी ने न तो भुगतान किया और न ही इनकार किया। इसके बाद, दावाकर्ता ने सामान्य नियम एवं शर्तों के खंड 9 के तहत मध्यस्थता का सहारा लिया।अधिनियम, 1996 की धारा 21 के अनुसार, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस दिनांक से प्रारंभ होती है जिस दिनांक को उत्तरवादी को उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त होता है।20-4-2008 पर खंड 9 शामिल किया गया है।अधिनियम, 1996 की धारा 43(2) के अनुसार, मध्यस्थता की शुरुआत धारा 21 में उल्लिखित तिथि से मानी जाएगी।इस प्रकरण में, वाद का कारण 18-7-2006 को उत्पन्न हुआ और मध्यस्थता की परिसीमा अवधि 20-4-2008 से शुरू हुई, अतः दावाकर्ता का दावा परिसीमा अवधि से बाधित नहीं है।

23. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते है कि खाद्य निगम बनाम रतनलाल एन. ग्वालानी 14 के मामले में जिसमें यह देखा गया है कि प्रतिवादी निगम के लिए वादी द्वारा किए गए कार्य के लिए अंतिम बिल तैयार करने में देरी के बाद, प्रतिवादी के लिए परिसीमा का विवाद्यक उठाना अनुमेय नहीं होगा।वर्तमान प्रकरण में भी

अंतिम बिल तैयार करने में देरी उत्तरवादी की त्रुटि के कारण हुई है और इसे अपीलकर्ता के दावे को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।यहां तक कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (उपरोक्त) मामले में भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के युगल पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि परिसीमा का उल्लेख देना (हालांकि वाद समय सीमा के भीतर दायर किया गया है) वादी के न्यायसंगत दावे को नकारने का आधार है, जबकि नैतिक और न्यायसंगत दृष्टिकोण से वादी को यह आपत्ति नहीं उठानी चाहिए थी।यद्यपि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को इस प्रकार के तर्क उठाने से मना नहीं किया गया है और न्यायालय ऐसे तर्क उठाए जाने पर उस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है, लेकिन सार्वजनिक प्राधिकरण को आमतौर पर ऐसे तर्क नहीं उठाना चाहिए, जब तक कि वादी का दावा निराधार न हो और वाद दायर करने में देरी के कारण ऐसे दावे का विरोध करने के उद्देश्य से साक्ष्य प्रस्तुत करना अपरिहार्य न हो गया हो।

24. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, वाणिज्यिक न्यायालय (जिला स्तर), नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश द्वारा प्रकरण संख्या आर्बिट्रेशन एमजेसी 15/2021 में दिनांक 8-8-2022 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है और विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिनांक 20-3-2021 को पारित मध्यस्थता निर्णय को यथावत रखा जाता है।

25. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है, और पक्षकारों को अपना-अपना खर्च वहन करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/-
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश

<u>हेड नोट :</u>

मध्यस्थता न्यायाधिकरण साक्ष्यों का स्वामी है और मध्यस्थों द्वारा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर निकाले गए तथ्यों के निष्कर्षों की जांच उस तरह से नहीं की जानी चाहिए, जैसे कि न्यायालय अपील की सुनवाई कर रहा हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur